भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

आयुध निर्माणी बोर्ड

आयुध निर्माणी भर्ती केंद्र

विज्ञापन संख्या: 10201/11/0209/1718

कृपया नोट करे : किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिती में अंग्रेजी संस्करण ग्राहय होगा ।

संभावित आवेदक कृपया नोट करे कि, ओएफआरसी/ओएफबी के विज्ञापन संख्या 10201/11/0209/1718 में निम्नलिखित संशोधन किये गये है :-

	के लीए (For)	पढे (Read)
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आरंभ तिथि	29.05.2017	19.06.2017
ऑन-लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	19.06.2017	10.07.2017

इस विज्ञापन में संबंधित सभी दिनांक भी उपरोक्तानुसार संशोधित समझी जाए/हुई है ।

कृपया यह भी नोट करे कि, व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर (Vehicle Factory Jabalpur) एवं गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर (Gun Carriage Factory, Jabalpur) MP की सभी रिक्तीयाँ (Vacancies) को निरस्त/रद्द (Stand withdrawn) कर दिया गया है ।

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

आयुध निर्माणी बोर्ड

आयुध निर्माणी भर्ती केंद्र

विज्ञापन संख्या: 10201/11/0209/1718

आयुध निर्माणी बोर्ड, 41 निर्माणियों सहित द्विशती वाला एक सरकारी संगठन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक रक्षा उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, संरक्षा, अनुसंधान एवं विकास, भर्ती आदि के लिए 22 अन्य संस्थानों सहित भारत भर में फैला हुआ है।

आयुध निर्माणी भर्ती केंद्र, सभी आयुध निर्माणियों की ओर से भारत के पात्र नागरिकों से भारत भर में स्थित विभिन्न आयुध निर्माणियों में विभिन्न ट्रेडों में समूह 'ग' में अर्ध-कुशल ग्रेड औद्योगिक कर्मचारी एवं श्रमिक के निम्नलिखित रिक्तियों/ पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

देश के राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन और रक्षा तैयारी में योगदान देने में भारत के योग्य और इच्छुक नागरिक ओएफबी लिंक **www.ofb.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आमंत्रित है।

नोट : आयुध निर्माणियों के पूर्व ट्रेड अप्रेन्टिस और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत उम्मीदवार ऊपर दी गई ओएफबी लिंक के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। सभी आवेदकों को अनिवार्यत: ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।

हस्तलिखित आवेदन / किये गए आवेदन की हार्ड कापी स्वीकार्य नहीं है और न ही उनपर विचार किया जाएंगा।

1. महत्वपूर्ण तिथियाँ :

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आरंभ तिथि	19.06.2017
ऑन-लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	10.07.2017

2. पद का नाम और वेतनमान :

पद का नाम	औद्योगिक कर्मचारी (अर्ध कुशल) एवं श्रमिक समूह “ग” में
वेतन-बैंड	पे-बैंड -1 (रु.5200-20200), ग्रेड पे ₹1800 (संशोधन पूर्व),

	₹.18000 संशोधित आरंभिक स्तर
अन्य भत्तें Other Allowances	समय-समय पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागु भत्तें।

3. **रिक्तियों की स्थिति:** रिक्तियों का विवरण निर्माणीनुसार / ट्रेडनुसार अलग- अलग श्रेणी के अनुसार परिशिष्ट **'ए'** (Annexure-'A' of English Version) में संलग्न हैं। रिक्तियों और ट्रेडों की विज्ञापित संख्या किसी भी समय परिवर्तनीय है।

4. **पात्रता मानदंड़ :**

नोट: उम्मीदवार, परीक्षा हेतु अपनी योग्यता सुनिश्चित करें।

उक्त उल्लेखित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए अनंतिम होगा। उम्मीदवार को परिक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त होने का यह अर्थ नहीं है कि, उनकी उम्मीदवारी अंततः ओएफआरसी / ओएफबी द्वारा स्वीकार कर ली गई है। मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता स्थितियों का सत्यापन केवल संबद्ध निर्माणियों में ट्रेड परीक्षा के समय किया जाएगा।

4.1 आयु सीमा: ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 18 से 32 वर्ष (सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष)। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा में छूट निम्नानुसार है:

Sl No	श्रेणी / **Category**		उच्चतम आयु सीमा के बाद आयु में छूट
1.	अन्य पिछडा वर्ग (OBC-NCL)		3वर्ष
2.	अ.जा./अ.ज.जा. (SC/ST)		5 वर्ष
3.	आयुध निर्माणियों के पूर्व ट्रेड अप्रेन्टिस	UR	अप्रेन्टिस अधिनियम 1961 के तहत आवेदक द्वारा अप्रेन्टिस प्रशिक्षण की अवधि तक
		OBC (NCL)	3 वर्ष + अप्रेन्टिस अधिनियम, 1 9 61 के तहत आवेदक द्वारा अप्रेन्टिस प्रशिक्षण की अवधि तक

Sl No	श्रेणी / **Category**		उच्चतम आयु सीमा के बाद आयु में छूट
		SC/ST	**5** वर्ष + अप्रेन्टिस अधिनियम 1961 के तहत आवेदक द्वारा अप्रेन्टिस प्रशिक्षण की अवधि तक
4.	पूर्व सैनिक	UR	आवेदन समाप्ति तिथि पर रक्षा सेवाओं में प्रदान की जाने वाली सेवा की अवधि के अलावा 03 वर्ष।
		OBC (NCL)	आवेदन समाप्ति तिथि पर रक्षा सेवाओं में प्रदान की गई अवधि के अलावा 06 वर्ष (3 वर्ष + 3 वर्ष) ।
		SC/ST	आवेदन समाप्ति तिथि पर रक्षा सेवाओं में प्रदान की गई अवधि के अलावा 08 वर्ष (3 वर्ष + 5 वर्ष) ।
5.	विकलांग रक्षा सेवा कार्मिक	UR	45 वर्ष की आयु तक
		OBC (NCL)	48 वर्ष की आयु तक
		SC/ST	50 वर्ष की आयु तक
6.	विकलांग व्यक्ति Persons with disability	UR	10 वर्ष
		OBC (NCL)	13 वर्ष
		SC/ST	15 वर्ष
7.	जम्मू-कश्मीर में 01-01-1980 से 31-12-1989 तक के अधिवासी उम्मीदवार केवल	UR	5 वर्ष
		OBC (NCL)	8 वर्ष
		SC/ST	10 वर्ष
8.	केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी (सामान्य / अनारक्षित) के लिए उच्चतम	UR	40 वर्ष की आयु तक
		OBC (NCL)	43 वर्ष की आयु तक

Sl No	श्रेणी / **Category**		उच्चतम आयु सीमा के बाद आयु में छूट
	आयु सीमा, जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक 3 वर्ष तक नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है।	SC/ST	45 वर्ष की आयु तक
9.	केंद्र सरकार के छंटनी किये गए कर्मचारी	UR	3 वर्ष + भारत सरकार के अधीन पिछली सेवा की अवधि तक
		OBC (NCL)	06 वर्ष(3 वर्ष + 3 वर्ष) + भारत सरकार के अधीन पिछली सेवा की अवधि तक
		SC/ST	08 वर्ष (3 वर्ष + 5 वर्ष) + भारत सरकार के अधीन पिछली सेवा की अवधि तक
10.	एनसीसी में पूर्णकालिक कैडेट इंस्ट्रक्टर		
	क) जो अपने प्रारंभिक/ विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति के बाद एनसीसी से कार्यमुक्त हुए है	UR	3 वर्ष+ एनसीसी में प्रदान की गई सेवावधि
		OBC (NCL)	06 वर्ष (3 वर्ष + 3 वर्ष) + एनसीसी में प्रदान की गई सेवावधि
		SC/ST	08 वर्ष (3 वर्ष + 5 वर्ष) + एनसीसी में प्रदान की गई सेवावधि
	ख) जो अपने प्रारंभिक/विस्तारित अवधि की समाप्ति से पूर्व एनसीसी से कार्यमुक्त हुए है	UR	3 वर्ष + एनसीसी में प्रदान की गई सेवावधि, बशर्ते एन.सी.सी.से कार्यमुक्त होने से पूर्व छह माह या उससे अधिक की सेवा की हैं।
		OBC (NCL)	06 वर्ष (3 वर्ष + 3 वर्ष) + एनसीसी में प्रदान की गई सेवावधि, बशर्ते एन.सी.सी.से कार्यमुक्त होने से पूर्व छह माह या उससे अधिक की सेवा की हैं।

Sl No	श्रेणी / **Category**		उच्चतम आयु सीमा के बाद आयु में छूट
		SC/ST	08 वर्ष (3 वर्ष + 5 वर्ष) + एनसीसी में प्रदान की गई सेवावधि, बशर्ते एन.सी.सी.से कार्यमुक्त होने से पूर्व छह माह या उससे अधिक की सेवा की हैं।
11.	पूर्व जनरल रिजर्व सैन्य अभियंता कार्मिक (जीआरईएफ)	UR	3 वर्ष + जीआरईएफ में सेवावधि
		OBC (NCL)	06 वर्ष (3 वर्ष + 3 वर्ष) + जीआरईएफ में सेवावधि
		SC/ST	08 वर्ष(3 वर्ष + 5 वर्ष) + जीआरईएफ में सेवावधि
12.	प्रादेशिक सेना कार्मिक जिन्होंने प्रादेशिक सेना इकाई के स्थायी कर्मचारी के रूप में सेवा की हैं **या** टी.ए.नियम 33 के तहत छह माह की निरंतर सेवा की हैं।	UR	3 वर्ष + प्रादेशिक सेना में खंडित अवधि सह कुल सेवावधि
		OBC (NCL)	06 वर्ष (3 वर्ष + 3 वर्ष) + प्रादेशिक सेना में खंडित अवधि सह कुल सेवावधि
		SC/ST	08 वर्ष (3 वर्ष + 5 वर्ष) + प्रादेशिक सेना में खंडित अवधि सह कुल सेवावधि
13.	विधवाएं, तलाकशुदा महिला और वह महिलाएं जो न्यायिक रूप से अपने पतियों से अलग है और पुनः विवाह नहीं किया हैं	UR	35 वर्ष की आयु तक। शैक्षिक योग्यता या भर्ती पद्धति में कोई छूट नहीं है।
		OBC (NCL)	38 वर्ष की आयु तक। शैक्षिक योग्यता या भर्ती पद्धति में कोई छूट नहीं है।
		SC/ST	40 वर्ष की आयु तक। शैक्षिक योग्यता या भर्ती पद्धति में कोई छूट नहीं है।
14.	मेधावी खिलाड़ी	UR	5 वर्ष
		OBC (NCL)	8 वर्ष
		SC/ST	10 वर्ष

नोट 1. आन लाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख, पात्रता मानदंड़ जाँचने की महत्वपूर्ण तारीख होगी। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए निर्धारित आयु के अनुसार संबंधित भूतपूर्व सैनिक की प्रदान की गयी मिलट्री सेवावधि को उसकी आयु से घटाने की अनुमति है और इस तरह की छूट को आयु के संबंध में मानक छूट के रूप में नहीं लिया जा सकता हैं।

नोट 2: भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांग व्यक्ति उन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। तथापि, उन्हें केवल आयु में छूट और शुल्क में छूट दी जाएंगी और हारिझेन्टल आरक्षण पर विचार किए बिना पीडब्लूडी के लिए चिन्हीत पद के लिए उनका विचार किया जाएंगा।

नोट 3: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदक, तथा जो उक्त नोट 1 एवं नोट 2 में भी जैसे भूतपूर्व सैनिक, जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासी, दृष्टिहीन, श्रवण क्षमता में हानी और अस्थि विकलांग इत्यादि दोनों वर्गों के तहत कम्यूलिटिव आयु-छूट के लिए पात्र होंगे।

नोट 4: मौजूदा नियमों के अनुसार निर्दिष्ट खेलों के श्रेणियों में मेधावी खिलाड़ी (ओएम नं। 14034/01/2013-स्था। (डी) दिनांक 03.10.2013), आयु सीमा में छूट अधिकतम 5 वर्ष के लिए (अन्य पिछडा वर्ग के लिए 8 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए में 10 वर्ष) यह रियायत केवल उन खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगी जो शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और निर्धारित प्राधिकारी से निर्धारित प्रारुप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

4. 2 शैक्षिक योग्यताएं:

ट्रेड/पद का नाम	शैक्षिक योग्यता
अर्ध कुशल ट्रेडमेन	मैट्रीक्यूलेशन + नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) द्वारा जारी किया गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट / नेशनल अप्रेन्टिस सर्टिफिकेट ।
श्रमिक	मैट्रीक्यूलेशन

भूतपूर्व सैनिकों के लिए	एनएसी के समकक्ष वर्ग-3 की उन्नत योग्यता के साथ तकनीशियन (उनके प्रमाण पत्र पर सिविल योग्यता के

	सम तुल्य की पुष्टि सहित) **या** एनटीसी के लिए क्लास -2 और क्लास-I के समकक्ष उन्नत योग्यता के साथ तकनीशियन (उनके प्रमाण पत्र पर सिविल योग्यता के समतुल्य की पुष्टि सहित)

नोट 1: इस विज्ञापन के अनुसार अर्ध-कुशल औद्योगिक कर्मचारी पदों की प्रत्यक्ष भर्ती के लिए एनएसी/एनटीसी के बिना इंजीनियरिंग धारकों की डिग्री/डिप्लोमा को योग्यता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट 2: औद्योगिक कर्मचारियों की प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आवश्यक ट्रेडनुसार एनएसी / एनटीसी प्रमाण पत्र परिशिष्ट - 'ख' (Annexure-'B' of English Version) में संलग्न हैं।

नोट 3 : आनलाईन आवेदन करते समय विकलांग आवेदक इस विज्ञापन के परिशीष्ट 'घ' (Annexure-'D' of English Version) का अवलोकन निश्चित रुप से कर ले, जिसमे उनके शारिरीक क्षमता एवं कार्य-वर्गीकरण के अनुसार रिक्तीयों को वर्गीकृत कर दिया गया है ।

5. **<u>परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम : परिशिष्ट 'ग' (Annexure-'C' of English Version) में दिया गया हैं।</u>**
6. **<u>परीक्षा केंद्र</u>**: आवेदित आयुध निर्माणी के अनुसार प्रयुक्त 12 केंद्रों जैसे भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, कोलकाता, कानपुर, मुंबई, नागपुर, पुणे और तीरूचिरापल्ली आदि में से एक केंद्र आवंटित किया जाएगा। भोपाल, लखनऊ और देहरादून जैसे अतिरिक्त केंद्रों को भी शामिल किया जा सकता है। प्रशासनिक कारणों से ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय निर्धारित केंद्र के अलावा आवेदकों को कोई अन्य केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा के किसी भी स्तर पर किसी भी परिस्थिति में आवेदक के अनुरोध पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
7. **परीक्षा का माध्यम :** यह परीक्षा त्रिभाषी होगी, अर्थात्, हिंदी, अंग्रेजी और उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा जहां स्थित आयुध निर्माणी के लिए आवेदक ने आवेदन किया है। आयुध निर्माणियों के लिए, यह अंग्रेजी, हिंदी और - बंगाली / मराठी / उड़िया / तमिल / तेलगू जैसे क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित है। ध्यान दें कि, उम्मीदवार सिर्फ उस क्षेत्रीय भाषा को चुन सकते हैं जहां संबंधित निर्माणी स्थित है और उन्हें सिर्फ उसी राज्य/ केंद्र में परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।

8. <u>चयन प्रणाली</u> :

क) चयन प्रक्रिया में 2 चरण समाविष्ट होंगे:

- वस्तुनिष्ठ और ओएमआर पर आधारित 100 अंकों की लिखित परीक्षा,
- दस्तावेज़ सत्यापन सहित संबंधित निर्माणी में ट्रेड परीक्षा (प्रेक्टिकल)

ख) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूचीनुसार, रिक्तियों की संख्या के संबंध में निर्धारित 1.25 अनुपात में उम्मीदवारों को ट्रेड परीक्षा (प्रैक्टिकल) के लिए बुलाया जाएगा।

ग) ट्रेड परीक्षा (प्रैक्टिकल) बिना किसी अंक के केवल अर्हक योग्यता पर आधारित रहेंगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के बावजूद जो उम्मीदवार ट्रेड परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उन पर बिलकुल विचार नहीं किए जायेंगा।

घ) ट्रेड परीक्षा के लिए बुलाएं गएं आवेदकों की उनके द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गयी जानकारी संबंधित निर्माणी में ट्रेड परीक्षा के समय, मूल दस्तावेजों के साथ जांची जायेंगी।

ङ) अंतिम मेरिट/चयन सूची, दस्तावेजों की जाँच तथा जिन्होंने ट्रेड परीक्षा (प्रैक्टिकल) पास कर ली है उनके लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जायेंगी।

च) अंतिम मेरिट / चयनित सूची निर्माणीनुसार तैयार की जाएगी और मेरिट के अनुसार www.ofb.gov.in पर प्रकाशित होगी।

नोट करें :

i. **आयुध निर्माणियों के पूर्व-ट्रेड अप्रेन्टिस को प्राथमिकता:** रक्षा मंत्रालय/ आयुध निर्माणी बोर्ड के वर्तमान कार्यकारी आदेश के अनुसार इस विज्ञापन द्वारा आयुध निर्माणी में औद्योगिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाले कुल 100 अंकों की लिखित परीक्षा की अंतिम मेरिट सूची में आयुध निर्माणी के पूर्व-ट्रेड अप्रेन्टिस को अतिरिक्त 5 अंक " जो विज्ञापन की अंतिम तिथि तक माननीय न्यायालयों के निर्णयों के अधीन है" दिए जायेंगे। यह प्रावधान माननीय न्यायालयों में विचाराधीन है।

ii. **गुणांकों में समानता पाये जाने पर अपनायी जाने वाली नीति (वरीयता क्रम):**

अर्ध-कुशल ट्रेडमेन:

क) संबंधित ऑर्डनेंस फैक्ट्री के एक्स-ट्रेड अप्रेन्टिस को जिस फैक्टी के लिए आवेदन किया है उस फैक्टरीनुसार मेरिट सूची में प्राथमिकता मिलेगी।

ख) यदि दोनों आवेदक एक ही ऑर्डनेंस फैक्ट्री के एक्स ट्रेड अप्रैन्टिस हैं, तो बैच वरिष्ठता / प्राप्तांकों को ध्यान में रखकर नीचे दिए अनुसार विचार किया जायेंगा:

ग) आवेदित आयुध निर्माणी के पूर्व प्रशिक्षित ट्रेड अप्रैन्टिस बैचनुसार जो वरिष्ठ है उसे वरीयता दी जाएगी, अर्थात दो या दो से अधिक पूर्व ट्रेड प्रशिक्षुओं को समान अंक मिलने पर बैच वरिष्ठता के आधार पर वरीयता दी जाएगी। आवेदित आयुध निर्माणी द्वारा पूर्व ट्रेड प्रशिक्षुओं की वरिष्ठता का निर्णय इस प्रकार किया जाएगा "एनसीवीटी परीक्षा बैच संख्या (महीना / वर्ष) पूर्व-टीए की वरिष्ठता बनाए रखने का मापदंड होगा। विशिष्ट एनसीवीटी परीक्षा की योग्यता सूची उस बैच के पूर्व ट्रेड अप्रेन्टिस के लिए वरिष्ठता का मानदंड होगा।"

घ) अन्य ऑर्डनेंस फैक्ट्री के पूर्व ट्रेड अप्रैन्टिस को उसके बाद उक्त वरिष्ठता की शर्तों के अनुसार वरीयता मिलेगी।

ङ) पार्ट "बी" में उच्च अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी (परिशिष्ट 'ग' के अनुसार ।

च) जन्म तिथि के आधार पर उम्र में बड़े उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी।

छ) नाम के वर्णमालाक्रम (English alphabets) के अनुसार ।

श्रमिक समूह 'ग':

क) उम्र में बड़े उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी।

ख) नाम के वर्णमालाक्रम (English alphabets) के अनुसार ।

9. आवेदन कैसे करें:

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि, उपलब्ध सभी विकल्पों की जांच करें तथा उचित निर्णय ले।

9.1 आवेदक अपनी पसंद के अनुसार केवल एक निर्माणी के लिए आवेदन कर सकते हैं : मेरिट सूची आवेदित आयुध निर्माणीनुसार तैयार की जाएगी और चयन सूची, संबंधित आयुध निर्माणी जिस राज्य में है वहाँ लागू आरक्षण रोस्टर के अनुसार बनायी जायेगी। केवल वे आवेदक समुदाय / जाति आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के योग्य होंगे, यदि वह विशिष्ट समुदाय/जाती से संबंधित है जो उस राज्य की आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल है, जहां आयुध निर्माणी स्थित है।

9.2 उम्मीदवार केवल एक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विकल्पों की गहन जांच कर उचित निर्णय लें। आवेदक परिशिष्ट ख में दर्शाए योग्यतानुसार **किसी एक आयुध निर्माणी में केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता है।** तथापि, कुछ ट्रेडों/पद जैसे कि एक्झामिनर (इंजि.) में यदि आवेदक एक से अधिक ट्रेड (एकल आवेदन के रूप में परिशिष्ट **'ख'** (Annexure-'B' of English version) में दर्शायेनुसार लागू है तथा पात्र है) के लिए आवेदन करना चाहते है, तो ऑनलाइन आवेदन

भरने के दौरान उम्मीदवारों को विकल्पों के बीच वरीयता के क्रम में ट्रेड का विकल्प देना होगा। ऐसे मामलों में उपयुक्तता मेरिट सह विकल्प के क्रम के आधार पर उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। पैनल के अनुसार पहले अवसर पर आवंटित पदों को किसी भी परिस्थिति में समीक्षित / संशोधित / पुन: आवंटित नहीं किया जाएंगा।

9.3 आवेदकों को वेबसाइट http://www.ofb.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

9.4 ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

क) उपरोक्त वेबसाइट में विशिष्ट लिंक (apply online and how to apply) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपलब्ध हैं।

ख) आनलाईन आवेदन (भाग-I एवं भाग-II) दीनांक 19.06.2017 से 10.07.2017 के 23:55 बजे तक कर सकते है ।

ग) ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आवेदको को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित दस्तावेज/जानकारी उसके पास तैयार है ।

- 8-bit जेपीजी/जेपीईजी प्रारुप में स्कॅन कीया गया छायाचित्र का डीजीटल आकार 30kb से 50 kb , सामान्य आकार 3.5 x 4.5 CM तथा 140 x 60 pixel. (कृपया नोट करे कि, अस्पष्ट छायाचित्र, कॅप/टोपी पहना हुआ छायाचित्र, गॉगल पहना हुआ छायाचित्र तथा पहचान में नही आनेवाला छायाचित्र वाला आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा) ।
- 8-bit जेपीजी/जेपीईजी प्रारुप में स्कॅन की गये हस्ताक्षर का डीजीटल आकार 10kb से 20 kb , सामान्य आकार 3.5 x 1.5 CM तथा 100 x 120 pixel. (कृपया नोट करे कि, अस्पष्ट हस्ताक्षर वाला आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा) ।
- 8-bit जेपीजी/जेपीईजी प्रारुप में स्कॅन की गये बांये हाथ के अंगुठे की छाप का डीजीटल आकार 10kb से 20 kb , सामान्य आकार 3.5 x 1.5 CM तथा 100 x 120 pixel. (कृपया नोट करे कि, अस्पष्ट बांये हाथ के अंगुठे की छाप वाला आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा) ।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / शारीरिक विकलांग / पूर्व ट्रेड अप्रेन्टिस /अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रिमिलेयर)/ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र 8-bit जेपीजी/जेपीईजी प्रारुप में स्कॅन की गये आवश्यक प्रमाणपत्र का डीजीटल आकार 30kb से 50 kb, तथा 140 x 60 pixel.

- 10 वी (मैट्रीक्युलेशन) का विवरण जैसे कि, रोल नंबर, बोर्ड का नाम, प्राप्तांको का प्रतिशत, पास कीया गया वर्ष इत्यादी जानकारी जहा मांगी गई है वहा भरना अत्यावश्यक है ।
- एनएसी/एनटीसी प्रमाणपत्र परिक्षा का विवरण जैसे कि, ट्रेड, रोल नंबर, बोर्ड का नाम/संस्थान, सेमेस्टर का विवरण, पास कीया गया महीना एवं वर्ष, कुल प्राप्तांक इत्यादी जानकारी जहा मांगी गई है वहा भरना अत्यावश्यक है ।
- स्वीकार्य फोटो आई.डी. : पासपोर्ट, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी सीरियल नंबर वाले फोटो पहचान पत्र, विशिष्ट पहचान पत्र "आधार", राज्य / केंद्र सरकार, जिला प्रशासन, नगर निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी सीरियल नंबर वाले फोटो पहचान पत्र।
- विकलांग आवेदक के मामले में जहा वह लिपिक सहायक हेतु अनुरोध करता है उसको लिपीक सहायक की जानकारी अवश्यक रुप से भरना है जैसे कि, उसका नाम, मोबाईल नंबर, e-mail ID, पता, शैक्षिक योग्यता एवं उसका 8-bit जेपीजी/जेपीईजी प्रारुप में स्कॅन कीया गया छायाचित्र का डीजीटल आकार 30kb से 50 kb , सामान्य आकार 3.5 x 4.5 CM तथा 140 x 60 pixel. (कृपया नोट करे कि, अस्पष्ट छायाचित्र, कॅप/टोपी पहना हुआ छायाचित्र, गॉगल पहना हुआ छायाचित्र तथा पहचान में नही आनेवाला छायाचित्र वाला आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा) ।
- भुतपुर्व सैनिको के मामलो में उनका सेना से कार्यमुक्ती प्रमाणपत्र (discharge Certificate) का विवरण अवश्य रुप से भरना है तथा 8-bit जेपीजी/जेपीईजी प्रारुप में स्कॅन कीया गया छायाचित्र का डीजीटल आकार 30kb से 50 kb , सामान्य आकार 3.5 x 4.5 CM तथा 140 x 60 pixel.
- आयुध निर्माणीयों के Ex-Trade Apprentic के मामलो में उनके एनएसी प्रमाणपत्र का विवरण अवश्य रुप से भरना है तथा 8-bit जेपीजी/जेपीईजी प्रारुप में स्कॅन कीया गया छायाचित्र का डीजीटल आकार 30kb से 50 kb , सामान्य आकार 3.5 x 4.5 CM तथा 140 x 60 pixel.
- जिन आवेदको को परीक्षा शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है ऐसे आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि, आनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास क्रेडीट/डेबीट कार्ड, नेट बँकींग की जानकारी तैयार है ।

घ) आवेदकों को ड्रॉप-डाउन मेनू के माध्यम से उपलब्ध निदेशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में शामिल भाग- I और भाग- II स्तर में आवश्यक जानकारी को पूरा भरना है। आवेदकों को लिखित परीक्षा में उपस्थित रहने की पात्रता के लिए दोनों भागों में पूरी जानकारी भरनी आवश्यक होगी।

च) भाग-I को पूरा करने पर, आवेदकों को उसी मोबाइल नंबर पर एक आवेदन पंजीकरण नंबर (ARN) प्राप्त होगा, जो मोबाइल नंबर उन्होंने भाग-I में दर्ज किया था । भाग-I को भरने में गलती या गलत मोबाइल नंबर लिखने से पंजीकरण अधूरा होगा।

छ) भाग-I को सफलतापूर्वक भरने पर और आवेदन पंजीकरण संख्या एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होने पर, उम्मीदवार को वेबसाइट में 'अप्लिकैंट लॉग इन' (applicant login) के माध्यम से प्रवेश करना है और ड्रॉपडाउन मेनू और दिशानिदेशों के अनुसार भाग-II की सभी औपचारिकताओं को शुल्क भुगतान सहित पूरा करना है ।

ज) आवेदकों को 50/- रुपये [अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / भूतपूर्व सैनिकों (आरक्षण के लिए पात्र **#**) / महिला / शारीरिक विकलांग आवेदकों को छोड़कर] का शुल्क भुगतान वेबसाइट से संलग्न पेमेंटगेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या एसबीआई की किसी भी शाखा में नकदी (इसी वेबसाईट से डाउनलोड किये हुए चालान द्वारा) भुगतान करते हुए जमा करना है।

- **चालान मोड:** वैकल्पिक रूप से, एसबीआई चालान जो कि वेबसाइट से जनरेट और डाउनलोड कर सकते हैं के माध्यम से आवेदक एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद द्वारा भुगतान कर सकते हैं। नकद (नकद भुगतान मोड या चालान मोड) द्वारा भुगतान करने वाले आवेदकों को रजिस्ट्रेशन के भाग-II के दौरान सिस्टम से जनरेट चालानस्लिप की प्रिंटआउट लेनी चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले एसबीआई शाखा काउंटर पर शुल्क जमा करना होगा तथा आवेदक एसबीआई शाखा में नकद भरने के बाद, उसे 'Applicant login' में लेनदेन नंबर प्रदर्शित करता हुआ चालान अपलोड करना होगा। (कृपया नोट करे कि, चालान डाउनलोड करने के 2(दो) घंटे पश्चात ही चालान अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी) इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही, ऐसे आवेदक जो चालान मोड द्वारा भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, के पंजीकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा समझा जाएगा।

झ) आवेदक, जो वैध चालान-स्लिप के साथ समापन तिथि पर राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए ऑनलाइन भुगतान मोड का विकल्प 10 जूलाई 2017 के 23:55 बजे तक खुला रहेगा ।

ट) आवेदकों को उनका आवेदन पत्र भरते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रदान कर रहे है क्योंकि ओएफआरसी परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करते समय इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्यूनिकेशन का इस्तेमाल करेगा।

ठ) आवेदक उनके द्वारा किये गए आवेदन पत्र की प्रिंट, दस्तावेजों के सत्यापन / ट्रेड परीक्षा के समय प्रस्तुत करने के लिए अपने पास सुरक्षित रखेगा। आवेदकों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संबंधित आयुध निर्माणी/ ओएफआरसी / ओएफबी को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

ड) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की राह देखे बिना समय पर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

9.5 विभिन्न ट्रेडों/निर्माणियों के साथ किसी भी डुप्लिकेट आवेदन को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदकों को केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। तथापि, यदि किसी भी अपरिहार्य स्थिति के कारण, यदि वह एक से अधिक आवेदन करता हैं, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, उच्च आवेदन पंजीकरण नंबर / अंतिम आवेदन आवेदकों का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर जैसे सभी मामलों में पूरा है। जो आवेदक कई आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं उन आवेदकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि केवल उच्च आवेदन पंजीकरण नंबर वाला आवेदन/ अंतिम आवेदन पर ही ओएफआरसी के द्वारा विचार किया जाएगा। एक पंजीकरण के लिए किये गये शुल्क के भुगतान को किसी भी अन्य पंजीकरण के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी परिस्थितियों में वापस होगा।

10. **आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण पत्र :**

10.1 ट्रेड परीक्षा से पहले /दस्तावेज़ सत्यापन के समय दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की आवश्यकता:

ट्रेड परीक्षा से पूर्व दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज आवश्यक है।

क) मैट्रिक / 10 वीं का प्रमाण पत्र

ख) एनटीसी / एनएसी प्रमाणपत्र / समतुल्य आर्मी प्रमाणपत्र

ग) विभागीय आवेदकों के लिए एन.ओ.सी. तथा आयु में छूट प्राप्ति हेतु सेवा प्रमाणपत्र। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की श्रेणी के लिए दावा करने वाले एक आवेदक को कम से कम तीन

वर्ष की निरंतर सेवा की होनी चाहिए और इस प्रकार आयु में छूट की मांग करने के लिए अपने नियोक्ता से विज्ञापन की तारीख के बाद जारी प्रमाणपत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा कि वह एक नियमित रूप से नियुक्त केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है एवं वह कैज़ुअल / एडहॉक / दैनिक मजदूरी / प्रति घंटा भुगतान / अनुबंध आधारित कर्मचारी नहीं है।

घ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण प्राप्त करने वाले आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से, स्पष्ट रूप से आवेदक की जाति, अधिनियम / आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और आवेदक का गांव / नगर का निवासी है, दर्शाता हुआ सामुदायिक प्रमाण पत्र। ओबीसी आवेदकों को आरक्षण प्राप्त करने के लिए कि वह क्रिमी लेयर के उच्च स्तर से संबंधित नहीं हैं, प्रमाणित करता हुआ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र जमा करना चाहिए।

च) मेडिकल स्वास्थ्य के निर्धारित मानकों के आधार पर पदों की नियुक्ति के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए जारी किए गए विकलांग प्रमाण पत्र, पात्र होंगे। शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड का होगा।

छ) भूतपूर्व-सैनिक श्रेणी में दावा करने वाले आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेवामुक्त प्रमाण पत्र।

ज) यदि प्रमाण पत्र हिंदी / अंग्रेजी में नहीं है तो, दस्तावेज सत्यापन के समय में हिंदी / अंग्रेजी में विधिवत अनुवादित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी चाहिए।

झ) दस्तावेज़ सत्यापन के संबंध में निर्णय, संबंधित आयुध निर्माणी के अधीन होगा और अंतिम समझा जाएगा।

10.2 **ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण पत्र :**

क) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में आरक्षण प्राप्त करने वाले आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से, स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, अधिनियम / आदेश जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और उम्मीदवार गांव / नगर का निवासी है दर्शाता हुआ सामुदायिक प्रमाण पत्र। ओबीसी आवेदकों को आरक्षण प्राप्त करने के लिए कि, क्रिमी लेयर के उच्च स्तर से संबंधित नहीं हैं, प्रमाणित करता हुआ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र जमा करना चाहिए।

ख) मेडिकल स्वास्थ्य के निर्धारित मानकों के आधार पर पदों की नियुक्ति के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए जारी किए गए विकलांग प्रमाण पत्र, पात्र होंगे। शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड का होगा।

ग) भूतपूर्व-सैनिक श्रेणी में दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सेवामुक्त प्रमाण पत्र।

घ) स्पष्ट रूप से संबंधित आयुध निर्माणी का नाम दर्शाता हुआ पूर्व ट्रेड अप्रेन्टिस के एनएसी / एनटीसी प्रमाण पत्र। (कृपया ध्यान दें कि, पूर्व ट्रेड अप्रेन्टिस का अर्थ वे आवेदक, जिन्होंने आयुध निर्माणियों में अप्रेन्टिस प्रशिक्षण पूर्ण किया हैं।)

11. **आवेदन शुल्क:** आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में रु. 50/- के शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय, आवेदकों को आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए पेमेंटगेटवे पर निर्देशित किया जाएगा।

- संबद्ध विवरण प्रविष्ट करने के बाद, वेबसाइट पर उपलब्ध भुगतान गेटवे द्वारा आवेदक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क भर कर सकते हैं।
- **चालान मोड:** वैकल्पिक रूप से, एसबीआई चालान जो कि वेबसाइट से जनरेट और डाउनलोड कर सकते हैं के माध्यम से आवेदक एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद द्वारा भुगतान कर सकते हैं। नकद (नकद भुगतान मोड या चालान मोड) द्वारा भुगतान करने वाले आवेदकों को रजिस्ट्रेशन के भाग-II के दौरान सिस्टम से जनरेट चालानस्लिप की प्रिंटआउट लेनी चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले एसबीआई शाखा काउंटर पर शुल्क जमा करना होगा तथा आवेदक एसबीआई शाखा में नकद भरने के बाद, उसे 'Applicant login' में लेनदेन नंबर प्रदर्शित करता हुआ चालान अपलोड करना होगा। (कृपया नोट करे कि, चालान डाउनलोड करने के 2(दो) घंटे पश्चात ही चालान अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी) इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही, ऐसे आवेदक जो चालान मोड द्वारा भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, के पंजीकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा समझा जाएगा।

आवेदक, जो वैध चालानस्लिप के साथ समापन तिथि पर राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए ऑनलाइन भुगतान मोड का विकल्प 10 जुलाई 2017 के 23:55 घंटे तक खुला रहेगा। आवेदकों के नाम, जिनके भुगतान विवरण बैंक से (चालान मोड द्वारा भुगतान) से प्राप्त नहीं हुए है, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के दो सप्ताह के

भीतर फर्जी/अवैध भुगतान के रूप में वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। शुल्क के बिना ऐसे सभी आवेदन पूर्णतः अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

- एक बार भुगतान कीया हुआ शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं कीया जाएगा। किसी भी अन्य परीक्षा एवं चयन के लिए भुगतान शुल्क आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

शुल्क भुगतान से छूट : आरक्षण के लिए पात्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ भूतपूर्व सैनिकों (आरक्षण के लिए पात्र **#**) / विकलांग / महिला को शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है।

(# भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए आरक्षण का लाभ उठाकर नियमित रूप से समूह 'ग' पदों में केंद्र सरकार के तहत नागरी रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क रियायत के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, वे आरक्षण का लाभ ले सकते है । उन्हे रोजगार मिलने पर डीओपी एंड टी ओ.एम. संख्या 36034/1/2014-एस्टेट (रिज़) दिनांक 14.08.2014 के अनुसार तत्काल स्वघोषणा द्वारा नियोक्ता को दिनांक के साथ उनके द्वारा किये हुए रोजगार आवेदनो की जानकारी देनी होगी। अगर वह / वह सेवा में शामिल होने के तत्काल बाद वह संबंधित नियोक्ता को स्वयं-घोषणा करते हुए/ वचन देते हुए द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले रोजगार हेतु विभिन्न रिक्त पदों के लिए आवेदन किया था, उनका तारीखनुसार जानकारी देता है, तो वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है ।)

12. आरक्षण:

अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./ भूतपूर्व सैनिक/ शारिरीक रूप से विकलांग आदि के लिए सरकारी आदेशानुसार आरक्षण उपलब्ध है। केवल वे आवेदक, समुदाय / जाति आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के योग्य होंगे, यदि वह विशिष्ट समुदाय/जाती से संबंधित है जो उस राज्य की राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल है, जहां आयुध निर्माणी स्थित है ।

आवेदकों को चेतावनी दी जाती है कि, यदि वे अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./ भूतपूर्व सैनिक / शारिरीक विकलांगता स्थिती हेतु धोखादड़ी से दावा करते हैं तो ओएफआरसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा ।

12.1 **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए:** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों में से एक का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, केंद्र सरकार की नौकरी के लिए निर्धारित

प्रारूप में उस जिला के अधिकारी या उप-विभागीय अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी (जैसा कि नीचे बताया गया है और / या जिसे इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है), प्रस्तुत करना चाहिए जिस जिला में उसके माता-पिता (या जीवित माता पिता) सामान्यतः रहते हैं, । यदि उसके दोनों माता-पिता मर चुके हैं, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार स्वयं बिना शिक्षा के उद्देश्य से सामान्यतः रह रहा है। ऑनलाइन आवेदन करते समय इस प्रकार के प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है। संबंधित आयुध निर्माणियों द्वारा प्रैक्टिकल टेस्ट (ट्रेड टेस्ट)/ दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप में इन सभी प्रमाणपत्रों की जाँच की जाएंगी।

12.2 **ओबीसी आवेदकों के लिए:** ओबीसी स्थिति का दावा करने वाले आवेदक नोट करें कि क्रिमी लेयर स्थिति का प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से तीन साल के भीतर का होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समाप्ति तिथि को ओबीसी के लिए गणना तिथि के रूप में माना जाएगा। आवेदक को सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी क्रिमी लेयर स्थिति ओबीसी प्रमाण पत्र सिर्फ संबद्ध निर्माणी में ट्रेड परीक्षा के समय, इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

12.3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए:

भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए आरक्षण का लाभ उठाकर नियमित रूप से समूह 'ग' पदों में केंद्र सरकार के तहत नागरी रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे शुल्क रियायत के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, वे आरक्षण का लाभ ले सकते है । उन्हे रोजगार मिलने पर डीओपी एंड टी ओ.एम. संख्या 36034/1/2014-एस्टेट (रिज़) दिनांक 14.08.2014 के अनुसार तत्काल स्वघोषणा द्वारा नियोक्ता को दिनांक के साथ उनके द्वारा किये हुए रोजगार आवेदनो की जानकारी देनी होगी ।

सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक के "कॉल अप सेवा" की अवधि को नियमानुसार आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा यदि उसके पास पद / सेवा के लिए आवेदन करते समय भूतपूर्व सैनिक होने के दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा कि वह आवेदन करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के

भीतर आवेदन करने के लिए पात्र है या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या मुक्ति के माध्यम से, पहले ही पूरा करेगा कि वह भूतपूर्व सैनिक है ।

स्पष्टीकरण: एक 'भूतपूर्व सैनिक' का अर्थ है कि व्यक्ति -

I. जिन्होंने भारतीय संघ राज्य के थल सेना, नौसेना और वायु सेना में, किसी भी पद पर नियमीत सेवा की है, और

क) जो या तो सेवानिवृत्त है या उसके स्वयं के अनुरोध पर नियोक्ता द्वारा उसे ऐसी सेवाओं से कार्यमुक्त किया गया है और पेंशन भोगी है; या

ख) जो इस तरह की सेवा से, सेवा करते हुए या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण मेडिकल आधार पर कार्यमुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन भोगी है; या

ग) (i) जो संस्थापना के कर्मियों के कमी करने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से सेवामुक्त किये गये है; या

(ii) जिन्होने इस तरह की सेवा से तैनाती की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद या अपने स्वयं के अनुरोध के बिना दुर्व्यवहार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी के माध्यम से सेवामुक्त किये गये है, और उन्हे ग्रैच्युटी दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कर्मियों में शामिल हैं, अर्थात्, सेवा के लिए पेंशन भोगी है; या

(iii) सेना डाक सेवा का कार्मिक, जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से अपने अभिभावक सेवा में लौटे बिना, पेंशन के साथ सेवानिवृत्त हुआ हैं, या सैन्य सेवा के कारण मेडिकल आधार पर सेवामुक्त हुआ, उसके नियंत्रण से परे स्थितियों के कारण सेवामुक्त हुआ और अन्य चिकित्सा या विकलांगता पेंशन भोगी है; या

(iv) सैनिक, जो सेना डाक सेवा में 14 अप्रैल 1987 से पूर्व छः माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर था; **या**

(v) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता, या

(vi) एक्स-रिक्रूट बोर्ड आउट करते हुए मेडिकल आधार पर सेवामुक्त कर दिये गए है और चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की है।

भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों के लिए उम्र एवं आरक्षण में रियायत स्वीकार्य नहीं है।

12.4 विकलांग व्यक्तियों के लिए :

1) आनलाईन आवेदन करते समय, विकलांग आवेदक, परिशिष्ट 'घ' में वास्तविक आवश्यकता तथा कार्य वर्गीकरण के साथ शारिरीक विकलांग श्रेणी हेतु योग्य पदों को देखते हुए ट्रेड के लिए स्वयं की योग्यता सुनिश्चित करें।

2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता के दिनांक 06-02-2015 के अधिसूचना सं. 34-02 / 2015-डीडी- III के अनुसार एकाधिक विकलांगता वर्ग के लिए नियुक्ति में आरक्षण उपलब्ध नहीं है।

3) अस्थि विकलांग व्यक्तियों (विकलांगता 40% से कम नहीं), श्रवण शक्ति में हानि (एचएच) व्यक्तियों, जिनकी 60% डेसीबल या इससे अधिक की श्रवण शक्ति की हानि और दृश्य विकलांगता 40% से कम नहीं है ऐसे आवेदक इस विषय पर सरकारी आदेशानुसार आरक्षण के लिए पात्र है ।

4) एक आंख वाले आवेदक और आंशिक रूप से दृष्टिहीन उम्मीदवार जो सामान्य प्रश्न पत्र को बिना मैग्निफाइंग ग्लास के या मैग्निफाइंग ग्लास की सहायता से पढ़ सकते हैं और उत्तर लिखना / संकेत करना चाहते है, उन्हें मैग्निफाइंग ग्लास के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। वे परीक्षा हॉल में लिपिक (Scribe) के हकदार नहीं होंगे। ऐसे उम्मीदवारों को अपने स्वयं के मैग्निफाइंग ग्लास परीक्षा हॉल में लाने होंगे।

5) ब्रेल लिपि में प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक प्रदान नहीं किए जाएंगे।

6) **लिपिक सहायता हेतु :** आनलाईन आवेदन में अनुरोध करने पर निम्नलिखित आवेदक लिखित परीक्षा हेतु लिपिक और ट्रेड परीक्षा हेतु अनुच्छेद पढ़ने के लिए रिडर (यदि आवश्यक है तो) की सहायता ले सकते है ।

   I. 40% या उससे अधिक दृष्टिहिनता (वीएच) ।

   II. सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित विकलांग उम्मीदवार (ओएच) ।

   III. उपर्युक्त के अलावा, अस्थि विकलांग उम्मीदवार (सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित आवेदकों के अलावा), जो लोको मोटर विकलांगता (40% या अधिक) से पीड़ित है, जिसमें मुख्य लेखन, उम्मीदवार के धीमे निष्पादन से एक सीमा तक प्रभावित होती हैं (यह कमी या तो उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत मेडिकल प्रमाण पत्र में इंगित होनी चाहिए है या फिर दिखाई दे रही हैं कि जो सत्यापन के बाद वैध और सही साबित होगी)।

   आवेदक नोट करें कि उपर्युक्त (I),(II)एवं (III) प्रकार के सभी उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा में अनुपुरक समय 20 मिनट/घंटा अधिक दिया जाएगा।

7) लिखित परीक्षा में किसी लिपिक की सहायता का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन में उनके अनुरोध को दर्ज करें।

8) लिपिक की तैनाती निम्न शर्तों के अधीन होगी:

(i) आवेदक को लिखित परीक्षा के लिए अपनी स्वयं की लागत पर अपने स्वयं के लिपिक की व्यवस्था करनी होगी।

(ii) परीक्षा हेतु आवेदक के कॉल पत्र लिपिक के विवरण सहित जारी किए जाएंगे ।

(iii) आवेदक द्वारा लाये गए लिपिक द्वारा किए गए किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।

(iv) लिपिक की शैक्षिक योग्यता, उस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से एक श्रेणी नीचे होनी चाहिए जिसके लिए आवेदक ने आवेदन किया है। आवेदन करते समय शैक्षिक योग्यता सहित लिपिक की जानकारी पहले से सूचित की जानी चाहिए।

(v) 40% से कम दृष्टि विकलांगता को नेत्रहीन नहीं माना जाएगा।

(vi) किसी भी स्तर पर लिपिक में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.5 **सेवारत कर्मचारी** : केन्द्र सरकार के विभागों में काम करने वाले व्यक्ति को अपने कार्यालय से उचित माध्यम से आवेदन करना होगा इस प्रमाणपत्र (एनओसी) के साथ कि उनके खिलाफ कोई भी अनुशासनिक मामले लंबित नहीं हैं और न ही विचाराधीन है। उन्हें एक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा कि, चयन होने पर उनके कार्यालय उन्हें तुरंत सेवामुक्त करेंगे। आवेदक, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होने का दावा करता है और आयु में छूट पाना चाहता है, को विज्ञापन की तारीख के बाद उसके नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र कि, वह केन्द्रीय सरकार का नियमित कर्मचारी है। कैजुअल / एडहॉक / दैनिक मजदूरी / प्रति घंटा भुगतान / अनुबंध आधारित कर्मचारी नहीं है, प्रस्तुत करना होगा। इन सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, संबद्ध आयुध निर्माणी में प्रैक्टिकल परीक्षा(ट्रेड टेस्ट) के समय जांची जाएंगी।

13. **आवेदकों के लिए सूचनाएं:**

- प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की और लिखित परीक्षा की तारीख वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। पात्र आवेदको को उनका **ई-प्रवेश पत्र** वेब पोर्टल / लिंक www.ofb.gov.in द्वारा डाउनलोड करने के लिए के उपलब्ध कराया जाएगा । प्रवेश पत्र डाक द्वारा भेजा नहीं

जाएगा । दिनांको में या संशोधन आदि में किसी भी बदलाव के मामले में बदलाव को ओएफबी वेबसाइट, www.ofb.gov.in / वेब पोर्टल पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।

- तारीख में परिवर्तन या भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन या किसी भी अन्य परिवर्तन को केवल ओएफबी लिंक/ उक्त वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। इस संबंध में समाचार पत्रों (प्रिंट मीडिया) में कोई अलग विज्ञापन नहीं होगा। उम्मीदवारों को अद्यतन सूचनाओं के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है।
- आवेदक, जिनके आवे`दनों को अस्वीकार कर दिया गया है, उन्हें, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 15-20 दिनों के बाद वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

14. **परिवहन भत्तें का भुगतान:** अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / भौतिक रूप से विकलांग पात्र पूर्व-सैनिकों को सरकारी नियमो के अंतर्गत परिवहन भत्ते का भुगतान ट्रेड परिक्षा/प्रॅक्टीकल टेस्ट/दस्तावेजो के परिक्षण के समय दिया जायेगा ।

15. **सामान्य सूचना :**

आवेदकों को निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक नोट करने की सलाह दी जाती है:

I. आवेदकों को ध्यान से विस्तार से विज्ञापन को पढ़ने की आवश्यकता है।

II. आवेदन करने से पूर्व आवेदक, ट्रेड/पद/निर्माणीनुसार अपनी योग्यता की जांच करें और उचित निर्णय लें।

III. आवेदकों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

IV. यह नोट करें कि मात्र आवेदन फॉर्म जमा करना, प्राप्ति पावती, प्रवेश पत्र की प्राप्ति, लिखित परीक्षा / प्रेक्टिकल परीक्षा में उपस्थिति, किसी भी आयुध निर्माणी में पात्रता / उम्मीदवारी की गारंटी नहीं देता है। उम्मीदवारों का चयन, श्रेणीनुसार उपलब्ध रिक्तियों, क्रेडेंशियल/दस्तावेजो की मूल प्रति की जांच व पात्रता, स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट तथा चिकित्सा परीक्षण आदि को ध्यान में रखकर निर्माणीनुसार मेरिट स्थिति के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

V. **आवेदकों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आवेदित निर्माणी/ ओ.एफ.आर.सी./ओएफबी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उक्त को बाद में दस्तावेजों के सत्यापन / ट्रेड परीक्षा के समय आवेदकों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए इन्हें उम्मीदवारों के पास सुरक्षित रखना है ।**

VI. आवेदकों को किसी भी अद्यतन और परिवर्तनों हेतु वेबसाइट को नियमित रूप से जांचना आवश्यक है।

VII. आवेदकों को आवधिक सुचना हेतु एक वैध मोबाइल नंबर और ई-मेल आई.डी. देने की आवश्यकता है। इन विवरणों में त्रुटि का परिणाम परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रेक्षण नहीं होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि स्वहित में, उक्त भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक उल्लेखित मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आई.डी. को अपने पास रखें।

VIII. लिखित परीक्षा 'बहुचयन प्रश्न प्रकार (एमसीक्यू) और ओएमआर पर आधारित है । गलत उत्तर के लिए अंक नहीं कटेंगे ।

IX. आवेदको द्वारा किसी भी प्रकार की धोखादड़ी, बेईमानी, कपटपूर्वक व्यवहार का परिणाम आवेदन का निरस्तीकरण होगा । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनैतिक तत्वों का प्रयोग न करें ।

X. आवेदकों को मूल फोटो आईडी कार्ड के साथ अपनी पहचान दिखाने के बाद ही मान्य एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति होगी। **निम्नानुसार दिए गए स्वीकार्य फोटो आई.डी. :** पासपोर्ट, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी सीरियल नंबर वाले फोटो पहचान पत्र, विशिष्ट पहचान पत्र "आधार", राज्य / केंद्र सरकार, जिला प्रशासन, नगर निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी सीरियल नंबर वाले फोटो पहचान पत्र। अतः आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनका स्पष्ट फोटो, हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे की छाप अपलोड किया गया है और आवेदन पत्र पर भी मुद्रित किया गया है।

XI. आवेदकों को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी अन्य से मदद नहीं लेनी चाहिए या अन्य आवेदकों, पुस्तकों और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी अन्य अनुचित साधनों के उपयोग का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह, आपराधिक मुकदमा चलाए बिना ओएफआरसी / ओएफबी द्वारा भविष्य में आयोजित परीक्षाओं में बैठने के लिए उम्मीदवारी को रद्द करने का कारण बनेगा ।

XII. आवेदकों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के समय में पूरी तरह से जांचा जाएगा । आवेदकों को परीक्षा हॉल में अपने साथ किंमती/महंगी वस्तुएं न लाने की सलाह दी जाती है। ओएफआरसी / ओएफबी उनसे संबंधित किसी भी सामान को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और आवेदक ही केवल उनके सामान के लिए जिम्मेदार होंगे। परीक्षा केंद्र के भीतर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

XIII. परीक्षा हॉल में बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड लिया जाएगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे अपनी उंगलियों पर मेहंदी / टैटू न लगाएं,

जिससे बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं होती है। आवेदकों की उम्मीदवारी बायोमैट्रिक डेटा के अभाव में रद्द कर दी जाएगी।

XIV. आवेदक नोट करे कि, ओएफआरसी/ओएफबी द्वारा आयोजित इस परिक्षा की संपुर्ण प्रणाली व्हिडीयोग्राफी / सीसीटीवी द्वारा रिकार्ड की जायेगी ।

XV. तथ्यों को छुपाते हुए दस्तावेज या जाली प्रमाणपत्र / दस्तावेज जमा करने से इस प्रक्रिया के चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

XVI. सक्षम प्राधिकारी का निर्णय पात्रता से संबंधित सभी मामले, किसी भी आवेदन की स्वीकृति / अस्वीकृति, भाषा का आवंटन, परीक्षा केन्द्र आदि अंतिम होगा और आवेदको पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई जांच / पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

XVII. इस विज्ञापन के अनुसार, औद्योगिक कर्मचारियों (अर्ध-कुशल) तथा श्रमिक की भर्ती के नियम और शर्तों में कोई भी बदलाव, मौजुदा नियमों के अनुसार सही होंगे। आयुध निर्माणी बोर्ड / ओएफआरसी इस विज्ञापन नोटिस के तहत आवश्यक और लागू होने वाले नियम और शर्तों के अनुसार किसी भी परिवर्तन / संशोधन / अतिरिक्त को शामिल करने का अधिकार रखता है। कोई भी संशोधन केवल ओएफबी साइट (www.ofb.gov.in) पर या ऑनलाइन आवेदन करने की साइट पर प्रकाशित होगी ।

XVIII. इस विज्ञापन के अनुसार, औद्योगिक कर्मचारी (अर्ध-कुशल) एवं श्रमिक की भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद, जिस शहर / नगर में संबंधित आयुध निर्माणी स्थित है, और जिसके लिए आवेदन किया गया है के न्यायालयों / न्यायाधिकरणों के अधीन होगा।

XIX. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश शुद्ध रूप से अनंतिम होगा तथा उनके द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को संतुष्ट करने के अधीन होगा । यदि, लिखित परीक्षा के पहले या बाद में किसी भी समय दस्तावेजों / प्रमाण-पत्रों के सत्यापन पर, यह पाया जाता है कि आवेदक किसी भी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो ओएफबी/ओएफआरसी या संबंधित आयुध निर्माणी/इकाईयों द्वारा भर्ती के किसी भी स्तर पर परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

XX. लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद, प्रश्न पत्र और उसके अनंतिम उत्तर 3 दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जाएंगे। यदि कोई आवेदक अपलोड उत्तर को अमान्य करना चाहता है तो वह ऐसा केवल 07 दिनो के भीतर प्रमाणित दस्तावेजों के

साथ एवं रू.100/- प्रती प्रश्न की निर्धारित फीस के भुगतान पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी अमान्य उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।

XXI. प्राप्त अमान्य उत्तर की जांच के लिए और मूल्यांकन के लिए संशोधित उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने के लिए तीसरे पक्ष के विशेषज्ञ पैनल का गठन किया जाएगा। तीसरे पक्ष के विशेषज्ञ पैनल के निर्णय और उसी के आधार पर परिणाम अंतिम और बाध्यकारी होगा।

XXII. परीक्षा सामग्री (मूल ओएमआर शीट / उपस्थिति पत्र / प्रश्नपत्र या अन्य कोई अभिलेख / दस्तावेज आदि) की रिकार्ड अवधारण अवधि (Record Retention Period) लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद 3 महीने तक रहेंगी। इस अवधी के बाद ओएफआरसी/ किसी भी आयुध निर्माणी इकाई द्वारा परीक्षा के संबंध में आर.टी.आई. आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

XXIII. आकस्मिकता के मामले में या चयन प्रक्रिया के किसी भी भाग में या संपूर्ण भाग में वैकल्पिक प्रकार को अपनाने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

XXIV. **आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल से परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेना आवश्यक है। आवेदकों को ऑनलाइन द्वारा भरे गए उनके आवेदन की हार्ड कॉपी एवं कोई भी दस्तावेज या प्रवेश पत्र को कही भी किसी माध्यम द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।**

XXV. प्रवेश पत्र, ऑनलाइन पोर्टल / वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदकों को प्रवेश पत्र, परीक्षा की तारीख आदि डाउनलोड करने के संबंध में नियमित अपडेट के लिए नियमित रूप से ओएफबी वेबसाइट www.ofb.gov.in ऑनलाइन पोर्टल / वेबसाइट की जांच की सलाह दी जाती है। और आवेदकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऑनलाइन पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय प्रवेश पत्र के प्रिंट-आउट पर निम्नलिखित विवरण होना चाहिए:

A. नाम और क्रम संख्या

B. पहचान के उद्देश्य हेतु स्पष्ट फोटो

C. स्पष्ट और सुपाठ्य हस्ताक्षर

D. बाएं अंगूठे की स्पष्ट छाप

E. केंद्र/स्थान का पूरा पता

तथापि, उम्मीदवारों द्वारा प्रवेश पत्र को रखा जाना है जो पुन: दस्तावेज सत्यापन / ट्रेड परीक्षा के समय उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा । आवेदक यह सुनिश्चित करे कि, लिखित परिक्षा के समय प्रवेश पत्र पर निरीक्षक के हस्ताक्षर हुए है ।

XXVI. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/सुधार हेतु अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओएफआरसी / ओएफबी इन सबसे उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए, चाहे जो भी कारण हो, उत्तरदायी नहीं होगा ।

XXVII. विकलांग श्रेणी में उसी ट्रेड के भीतर पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने से उपर्युक्त विकलांग श्रेणी में से किसी एक में रिक्त पदों की अदला-बदली विकलांगता के योग्यतानुसार की जाएंगी।

XXVIII. इस विज्ञापन में सूचित रिक्तियां अस्थायी है और ओएफआरसी/ओएफबी रिक्तियों की संख्या में वृद्धि/कमी करने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का पूरा अधिकार रखता है।

XXIX. आवेदक कृपया ध्यान दें कि, उनके द्वारा आवेदित निर्माणी के अतिरिक्त, वे भारत में स्थित किसी भी आयुध निर्माणी में तैनात/समायोजित किये जा सकते है।

XXX. डी.ओ.पी.टी के ओ.एम. संख्या 39020/1/016/Estt(B) दिनांक 21.6.2016 के निर्देशानुसार बेरोजगार आवेदको को रोजगारो के अवसरो की जादा से जादा जानकारी उपलब्ध कराने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि, अंतिम परिणाम घोषीत होने पश्चात ओएफआरसी द्वारा इस पोर्टल पर/ओएफबी के पोर्टल www.ofb.gov.in पर आवेदको द्वारा इस परिक्षा में प्राप्त रैंक के साथ प्राप्तांको को उपलब्ध कराया जायेगा । यह भी निर्णय लिया गया है कि, इस परिक्षा के अंतिम परिणाम घोषीत करने के साथ साथ आवेदको के रोल नंबर, प्राप्तांक, इस परिक्षा में प्राप्त रैंक, आवेदको के नाम, आवेदको के अभिभावको/पती का नाम, अर्जित शैक्षिक पात्रता, जन्म दिनांक, कैटेगरी, लिंग, इस परिक्षा में कुल प्राप्तांक, ई-मेल तथा संपुर्ण रहीवासी पतो की जानकारी वेब-साइट पर उपलब्ध कराई जायेगी । तथापी, **आवेदको से संबंधीत उपरोक्त जानकारी का सार्वजनिक रुप से प्रकटीकरण का विकल्प आन-लाईल आवेदन भरते समय आवेदको के पास उपलब्ध रहेगा ।**

16. **उम्मेदवारी अस्वीकरण:**

आवेदक का आवेदन या उम्मीदवारी निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से अस्वीकार किया जा सकता है:

I. अपूर्ण आवेदन।

II. जहां शुल्क लागू है, वहां शुल्क न देना।

III. आन-लाइन आवेदन करते समय शुल्क विवरण दर्ज नहीं किया गया है/ शुल्क विवरण (सिर्फ एसबीआई चालान के लिए) सही तरह से दर्ज नहीं किया गया है।

IV. ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को औद्योगिक कर्मचारियों (अर्द्ध-कुशल) एवं श्रमिक की प्रत्यक्ष भर्ती के पद के लिए निर्धारित योग्यता का न होना।

V. उच्चतम या निम्नतम आयु या जन्म तिथि भरी नहीं है या गलत भरी है।

VI. दो या उससे अधिक आवेदन जमा किए गए हैं।

VII. अस्पष्ट फ़ोटो, कैप के साथ फोटो, चश्मा पहने हुए, विकृत या अस्पष्ट या अनभिज्ञेय फ़ोटो, अस्पष्ट हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगुठे की छाप के साथ आवेदन।

VIII. आवेदक का नाम बहिष्कृत सूची में होना।

IX. केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। अनेक आवदेनों (यदि पाया गया है) के संबंध में बिना किसी नोटिस के ऐसेआवेदकों की उम्मेदवारी अस्वीकार की जा सकती है।

X. दसवीं के प्रमाण-पत्र/एनएसी/एनटीसी प्रमाण-पत्र के साथ ऑन लाइन आवेदन में उल्लेखित नाम, पिता का नाम और जन्म तारीख का बेमेल होना।

XI. प्रयुक्त ट्रेड और एनएसी एनटीसी ट्रेड प्रमाण पत्र के बीच में असम्बद्धता। /

XII. अन्य कोई अनियमितताओ, जो ओएफबी / ओएफआरसी द्वारा आवेदक की उम्मीदवारी को अवैध कर सकती है।

XIII. तथ्यों के छिपाने हेतु कोई भी सामग्री या जाली प्रमाणपत्र दस्तावेज जमा करने से / इस प्रक्रिया के चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

XIV. अंगुलियों पर मेहँदी टैटू के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति दर् /ज न होने से ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।